

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

Ref No: 689

Dated: 14-5-2020

दुग्ध संकलन परिवहन हेतु द्वितीय ई-निविदा सूचना

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के कार्यक्षेत्र के विभिन्न दुग्ध शीत केन्द्रों पर दुग्ध समितियों से दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2022 तक 2 वर्ष की अवधि में दूध परिवहन, तरल नत्रजन एवं फोजन सीमन प्रदाय कार्य के लिए पंजीकृत निर्धारित क्षमता के वाहनों के लिए ऑन-लाइन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 10,000/- प्रति वाहन/दुग्ध संकलन मार्ग के मान से अथवा अधिकतम राशि रूपये 2,00,000/- की ऑन-लाइन ईएमडी जमा कराना अनिवार्य होगी। ईएमडी की मूल रसीद एवं वाहन होने की दशा में वाहन पंजीयन, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण जाँच रिपोर्ट तथा फूड लायसेंस की स्वप्रमाणित प्रति भौतिक रूप से जमा किये जाने वाले तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

निविदा अवधि पूर्ण होने एवं कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति से एक-एक वर्ष करके अनुबंधित अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व अनुमोदित दर व शर्त पर की जा सकेगी। लोडिंग वाहन माडल 2016 या उसके बाद का होना चाहिए।

दुग्ध शीत केन्द्र के नाम	वहन की निर्धारित परिवहन क्षमता	ई-निविदा क्रय हेतु प्रारंभ दिनांक/समय	ई-निविदा क्रय हेतु अन्तिम दिनांक/समय	ई-निविदा खोलने का दिनांक/समय
मालीबाड़ी/पचमा/हरदा/ मुलताई/राजगढ़/बरेली/ आष्टा/ग्यारसपुर/शुजालपुर/ बैतूल/नरसिंहगढ़/पचोर/ गैरतगंज/सिलवानी/विदिशा /गुना/कीरतपुर/गौहरगंज/ लटेरी/जीरापुर/सोहागपुर/ भोपाल	20 केन (1.0 टन) 30 केन (1.5 टन) 40 केन (2.0 टन) 55 केन (2.5 टन) 75 केन (3.5 टन) 120 केन (6.0 टन)	दिनांक 16.05.20 को दोपहर 12:00 बजे से	दिनांक 30.05.20 को दोपहर 3:00 बजे तक	दिनांक 03.06.20को दोपहर 3:00 बजे तक

निविदा प्रपत्र का पूर्ण विवरण(निविदा कार्यक्रम/मार्गों की विस्तृत जानकारी/अनुबंध की शर्त/नियम) मध्यप्रदेश स्टेट कौ-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल की वेबसाईट www.mpcdf.gov.in पर देखी जा सकती है एवं निविदाएं वेबसाईट www.mptenders.gov.in के माध्यम से भरी जा सकती है। समर्त निविदाएं या किसी एक निविदा को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन या शुद्धि किये जाने पर वेबसाईट में ही परिवर्तन किया जायेगा अन्य किसी माध्यम में नहीं, अतः नियमित रूप से से एमपीसीडीएफ की वेबसाईट www.mpcdf.gov.in देखें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 250/-

-: निविदा प्रपत्र :-

निविदा कार्यः—

1. भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र में कार्यरत दुग्ध समितियों से दुग्ध परिवहन कर डेयरी संयंत्र / दुग्ध शीतकेन्द्रों तक परिवहन अवधि (01.07.2020 से 30.06.2022 तक) 2 वर्ष हेतु ई-निविदा।

ई-निविदा क्रय हेतु प्रारंभ दिनांक एवं समय : 16.05.2020 को दोपहर 12:00 बजे से

ई-निविदा क्रय एवं जमा हेतु अंतिम दिनांक एवं समय : 30.05.2020 को दोपहर 2:00 बजे तक

भौतिक रूप से निविदा कार्यालय में जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय : 01.06.2020 को दोपहर 2:00 बजे तक

तकनीकी ई-निविदा खोले जाने की दिनांक एवं समय : 03.06.2020 को दोपहर 4:00 बजे

वित्तीय ई-निविदा खोले जाने दिनांक, समय एवं स्थान : 04.06.2020 को दोपहर 3:00 बजे
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
हबीबगंज, भोपाल(म.प्र.)

पत्राचार हेतु पता:- : भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
भोपाल डेरी प्लाट, हबीबगंज,
भोपाल-462024(म.प्र.)

निविदाकार द्वारा तकनीकी निविदा प्रपत्र को Online एवं Offline लिफाफे में भेजना होगा।

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| (अ) धरोहर राशि (EMD) | — (Submit online) |
| (ब) Technical Bid | — Online एवं Offline |
| (स) निविदा प्रपत्र (Price Bid) | — केवल Online भेजे |

नोटः— सभी निविदाकारों को सूचित किया जाता है कि वे ऑन लाईन जमा की गई धरोहर राशि (EMD) की मूल रसीद भौतिक रूप से भेजे जाने वाले निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर भौतिक निविदा प्रपत्र निविदा खोलने की दिनांक एवं समय से पूर्व भौतिक रूप से भोपाल सहकारी दुग्ध संघ में जमा करें। निविदा प्रपत्र Price Bid को online एवं Technical bid को Online एवं Offline माध्यम से ही भेजा जावे।

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| <u>ANNEXURE I</u> | : निविदा नियम एवं शर्तें |
| <u>ANNEXURE II</u> | : अनुबंध पत्र प्रारूप। |
| <u>ANNEXURE III</u> | : फार्म – A |
| <u>ANNEXURE IV</u> | : भाव पत्र। |

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
दुग्ध परिवहन निविदा प्रस्तुत करने बावत् नियम एवं शर्तें

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, द्वारा विभिन्न मार्गों से दुग्ध संकलन, शीत केन्द्र/आरएमआरडी, तक परिवहन हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र में वर्णित शर्तों को कृपया ध्यान से पढ़ लेवें।
2. (i) निविदा के साथ रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) प्रति वाहन/दुग्ध संकलन मार्ग के मान से एवं अधिकतम राशि रूपये 2.00 लाख EMD आन लाईन जमा करना होगी।
(ii) सुरक्षा निधि अनुमानित एक माह के भुगतान देयक के समतुल्य रहेगी। सुरक्षा निधि बावत् अन्य कोई भी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं किया जावेगा। आन लाईन जमा की गई (EMD)रूपये 10,000/- प्रति वाहन/दुग्ध संकलन मार्ग के मान से एवं अधिकतम राशि रूपये 2.00 लाख की मूल रसीद निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी अन्यथा निविदा निरस्त की जावेगी।
3. बिना हस्ताक्षर अथवा अपूर्ण जानकारी वाली निविदाओं को, निविदा प्रक्रिया से बाहर रखा जावेगा।
4. निविदा दिनांक 01.06.2020 को दिन के 2:00 बजे तक दुग्ध संघ कार्यालय में स्वीकार की जावेगी। इसके लिए कार्यालयीन घड़ी का समय ही मान्य होगा।
5. निविदा प्रस्तुत करने के दिनांक को ऐसे निविदाकार जिनके पास स्वयं के नाम का आर.टी.ओ. द्वारा पंजीकृत वाहन हो या ऐसे निविदाकार जो कार्य प्रारंभ करने के 10 दिन पूर्व अपना वाहन उपलब्ध करा सकें, वे निविदा भरने के पात्र होंगे। इस समयावधि में किसी भी स्थिति में बढ़ोत्तरी नहीं की जावेगी। निर्धारित अवधि में ऐसे निविदाकारों द्वारा वाहन उपलब्ध न कराने की दशा में धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। निविदाकार द्वारा स्वयं की मिलकीयत दर्शाने के लिए कोई इकरारनामा/शपथ पत्र/रसीद अथवा कोई अधिकार पत्र मान्य नहीं किया जावेगा। केवल आर.टी.ओ. द्वारा पंजीकृत पत्र ही वाहन की मिलकीयत के लिए मान्य होगा।
6. नवीन वाहन की स्थिति में निविदाकार को कार्यादेश प्राप्त करने के दिनांक से 10 दिवस की अवधि के अंदर कार्यादेश में वर्णित समस्त दस्तावेज उपलब्ध (प्रस्तुत) करना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में कार्यादेश निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
7. सफल निविदाकार की वाहन में संघ स्तर से जी.पी.एस. प्रणाली (GPS SYSTEM) लगाया जावेगा जिसका व्यय एवं किराया संघ द्वारा वाहन ठेकेदार के देयक से कटौत्रा किया जावेगा एवं जी.पी.एस. की मानीटरिंग संघ स्तर पर की जावेगी।
8. निविदा में दर निर्धारण करते समय एक मार्ग पर एक से अधिक निविदाकार की दर समान आने की स्थिति में वाहन के नवीनतम माडल को प्राथमिकता दी जावेगी। वाहन का समान निर्माण वर्ष आने पर लाटरी व्यवस्था अपनाई जावेगी।
9. निविदाकार के पास स्वयं के नाम पर पंजीकृत व्यावसायिक वाहन होना चाहिये। ऐसे निविदाकार ही निविदा भरने के पात्र होंगे। निविदा की जाने वाली वाहन का बीमा, पंजीयन, पेन कार्ड, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंजीयन, प्रदूषण जॉच रिपोर्ट एवं अन्य कागजात निविदा पत्र के साथ तकनीकी बिड वाले लिफाफे में प्रस्तुत करना होगी। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में निविदा स्वीकृत होने पर निर्धारित तिथि पर वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में संबंधित मार्ग की प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
10. दुग्ध परिवहन हेतु वाहनों के डीजल, कर्मचारियों पर व्यय, टोल टैक्स एवं अन्य सभी प्रकार के खर्च परिवहनकर्ता को करने होंगे एवं निविदाकारों द्वारा दुग्ध वाहन संचालन में लगाने वाले सभी

व्ययों का समावेश कर केवल प्रतिकिलोमीटर वाहन की ही दरें ऑन-लाईन प्रस्तुत की जाना होगी।

11. निविदा में निर्धारित मार्ग में दूरी की कमी/वृद्धि की जा सकेगी, जिसका भुगतान स्वीकृत दर के अनुसार घटी/बढ़ी दूरी के अनुपात में कम/अधिक भुगतान किया जावेगा।
12. निविदा के अस्वीकृत होने पर धरोहर राशि की पूरी रकम तीन माह में वापस लौटायी जायेगी अथवा निविदा स्वीकार होने पर धरोहर राशि की रकम ठेके/दुग्ध परिवहन कार्य हेतु निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार दी जाने वाली सुरक्षा निधि में समायोजित कर ली जावेगी।
13. निविदा सभी मार्ग तथा किसी भी एक मार्ग के लिए अस्वीकृत की जा सकती है।
14. निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से यह मान लिया जावेगा कि निविदा प्रस्तुत करने के लिए दी गयी निविदा की शर्तें/अनुबंध आदि का अवलोकन निविदाकार द्वारा कर लिया गया है, तथा परिवहन हेतु निर्धारित मार्ग की जानकारी से स्वयं को अवगत करा लिया गया है तथा उसे स्वीकृत है।
15. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में उस पर सभी भागीदारों के हस्ताक्षर आवश्यक होना चाहिए या किसी भागीदारी की अनुपस्थिति में उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर आवश्य होना चाहिए, जिसके पास ऐसा करने के लिए मुख्यार्थ नामा है। इस प्रकार संबंधित प्रतिनिधि भारतीय भागीदार अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। साथ में पंजीकृत पार्टनरशिप डीड पत्र भौतिक प्रपत्र के साथ लिफाफे में देना होगा।
16. दुग्ध संघ की ऐसी पंजीकृत दुग्ध समितियाँ, जो दुग्ध परिवहन लोडिंग वाहन, मार्केटिंग वाहन आदि क्रय एवं संचालन करने में सक्षम तथा इच्छुक हैं, तो वे समितियाँ भी ई-निविदा में भाग ले सकती हैं।
17. सभी निविदायें या कोई भी निविदा बिना कारण बताये अस्वीकृत की जा सकती है। निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् उसे वापस लेने का अधिकार निविदा प्रस्तुत कर्ता को नहीं होगा। निविदा में प्रस्तुत जानकारी किसी भी समय गलत पायी जाने पर अमानत राशि राजसात कर ठेका निरस्त किया जावेगा।
18. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकर्ता को अनुबंध तथा प्रतिभूति की राशि के साथ दुग्ध संघ की नाम मात्र की सदस्यता प्राप्त करने हेतु रूपये 100/- का एक अंश प्रतिवर्ष अनिवार्य रूप से क्रय करना होगा। ऐसे सदस्य संस्था के प्रबंधन मतदान तथा लाभ के वितरण में भाग नहीं ले सकेंगे। संघ के साथ व्यापारिक सम्बंध बने रहने तक वे नाम मात्र के सदस्य बने रहेंगे।
19. प्राप्त निविदाओं में जिन मार्गों पर तीन निविदायें प्राप्त होगी एवं पूर्व स्वीकृत दर (विगत अनुबंधित दर) से अधिक पाई जावेगी, उन मार्गों पर निविदाकर्ताओं से समझौतावार्ता के आधार पर निर्धारित दरों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। दुग्ध संकलन मार्ग में निविदा में प्राप्त दर की तुलना गत निविदा के अंतिम भुगतान के देयक की दर से की जावेगी।
20. प्राप्त निविदाओं में जिन मार्गों पर तीन निविदाएँ प्राप्त होगी एवं पूर्व स्वीकृत दर(विगत अनुबंध दर) से अधिक पाई जावेगी, उन मार्गों पर निविदाकर्ताओं से समझौता वार्ता के आधार पर निर्धारित दरों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। ऐसे दुग्ध संकलन मार्ग जिस पर निविदा में प्राप्त दर गत वर्ष की प्रारंभिक निविदा दर (डीजल दर वृद्धि/कमी)/वर्तमान दर (गत एक वर्ष की औसत दर) के समतुल्य/कम पाई जाती है तो समस्त अर्हताएँ पूर्ण होने पर उस मार्ग पर समझौता वार्ता नहीं कराई जावेगी।
21. निविदा स्वीकृत होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित द्वारा दी गयी कार्यादेश की सूचना की अभिस्वीकृति लिखित में सूचना प्राप्ति के 3 दिन के अंदर संघ कार्यालय/शीतकन्द्र कार्यालय में निविदाकार को रूपये 10,000/- (दस हजार रूपये) प्रारंभिक सुरक्षा राशि के साथ जो संघ को ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराकर देनी होगी, अन्यथा वाहन निविदाकार की EMR राशि जप्त कर निविदा निरस्त की जावेगी।
22. निविदाकार द्वारा निविदा हेतु आन लाईन जमा की गई रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) प्रति वाहन/दुग्ध संकलन मार्ग के मान से एवं अधिकतम राशि रूपये 2.00 लाख धरोहर राशि कार्य प्रारंभ न करने की दशा में संघ द्वारा सम्बंधित मार्ग की प्रतिभूति राशि राजसात कर ली

जावेगी ।

23. निविदाकार द्वारा यदि निविदा में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है तो ऐसी सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी ।
24. नियमानुसार आयकर एवं अधिभार राशि की कटौती बिल में से की जायेगी यदि निविदाकार की कर योग्य सकल आय कर निर्धारण सीमा से कम हो तो उसे आयकर अधिकारी से आयकर का कटौत्रा न करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
25. दुग्ध संघ एवं दुग्ध समिति में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं संचालक मण्डल के सदस्यों में निविदाकर्ता का कोई निकट का रिश्तेदार माता, पिता, पति, पत्नि, पुत्र, पुत्री आदि नहीं होना चाहिये । शिकायत प्राप्त होने पर एवं जॉच में सही पाये जाने पर निविदाकार द्वारा भरी गई समस्त प्रतिभूति/अमानत राशि संघ द्वारा राजसात कर ली जावेगी ।
26. **अ)** भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत वाहन ठेकेदार द्वारा वाहन पर यदि कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी अथवा कर्मचारियों से वाहन पर कार्य लिया जावेगा तो उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम/कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार वाहन ठेकेदार को संबंधित विभाग से कोड नम्बर प्राप्त कर प्रावधान के अनुसार नियमित अंशदान जमा करना अनिवार्य होगा । जमा न करने की दशा में प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि अंशदान की राशि वाहन ठेकेदार के देयको/प्रतिभूति से वसूल की जावेगी । जिसकी पूर्ण जवाबदारी वाहन ठेकेदार की होगी । इसी प्रकार श्रम अधिनियमों के अंतर्गत समस्त श्रम अधिनियमों के नियमों का पालन करने का दायित्व वाहन ठेकेदार का होगा । वाहन ठेकेदार को वाहन पर चलने वाले कर्मचारियों का पुलिस प्रमाणीकरण कराकर प्रस्तुत करना होगा ।
ब) वाहन ठेकेदार को वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, साथ ही संघ द्वारा निर्धारित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा । गणवेश का व्यय वाहन ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा ।
27. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अमान्य कर सकेगा ।
28. सफल निविदाकार को रूपये 1000/-के नान ज्यूडिशियल स्टेम्प पेपर पर कार्य आदेश प्राप्ति के 20 दिवस के अंदर संघ से विधिवत अनुबंध निर्धारित प्रारूप में निष्पादित करना होगा । अनुबंध निष्पादित न करने की स्थिति में वाहन के कार्य आदेश को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा ।
29. जिन संस्थाओं द्वारा सील्ड केन दी जावेगी, उसे उसी स्थिति में केनों को दुग्ध शीत केन्द्र/आरएमआरडीपहुँचाना होगा । सील टूटी होने पर समितियों के दूध कमी की राशि की वसूली दुग्ध परिवहन देयक से की जावेगी ।
30. मार्ग की दूरी अनुमानित है तथा इसमें समितियों की कमी/वृद्धि के साथ कमी/वृद्धि हो सकती है । मार्ग की दूरी तथा संकलन के अनुसार वाहन व्यवस्था पुनरीक्षित की जा सकती है तथा मार्ग परिवर्तित किया जा सकता है एवं एक शीत केन्द्र से दूसरे शीत केन्द्र पर भी परिवर्तित किया जा सकता है ।
31. जिन दुग्ध संकलन मार्गों पर बल्कि मिल्क कूलर स्थापित हो रहे हैं अथवा किया जाना है, एवं दुग्ध वाहन के स्थान पर दुग्ध टैंकर से दूध लाने की संभावना है । साथ ही शासन की योजना के तहत अन्य जिन मार्गों पर बल्कि मिल्क कूलर स्थापित होंगे, वहाँ से टैंकर द्वारा दुग्ध संकलन की संभावना है । ऐसे मार्गों के दुग्ध परिवहन वाहन को कार्य से पृथक किये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा ।
32. शाटल मार्गों को सुविधा अनुसार अन्य मार्गों में भी जोड़ा जा सकता है ।
33. वाहन ठेकेदार को वाहन अनुबंध प्रारम्भ होने के एक माह के अन्दर संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में संघ के सन्तुलित पशुआहार सुदाना, साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ का विज्ञापन अनुबन्धित वाहन पर लिखवाना होगा ।

34. दुग्ध संकलन परिवहन के अनुबन्धित वाहनों पर पीछे हुड़ पर अनुबन्ध अवधि में त्रिपाल आवश्यक रूप से लगानी होगी, अन्यथा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप आर्थिक दण्ड लिया जावेगा एवं इससे होने वाली अन्य हानियों का कटौत्रा भी किया जावेगा।
35. अनुबन्धित वाहन में ईंधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। ईंधन के रूप में अन्य (घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस) का उपयोग वर्जित माना जावेगा।
36. आयकर विभाग से यदि स्थायी लेखा संख्या नम्बर लिया है तो संघ को प्रस्तुत करना होगा। पेन नम्बर के अभाव में परिवहन देयक का भुगतान करना संभव नहीं होगा।
37. दुग्ध परिवहन हेतु अनुबंधित वाहन में जी.पी.एस. सिस्टम (GPS System) वाहन ठेकेदार को स्वयं के व्यय से लगवाना अनिवार्य होकर उसे चालू स्थिति में रखने की समस्त जवाबदारी होगी। यदि जी.पी.एस. सिस्टम खराब होता है तो उसे स्वयं के व्यय से 24 घण्टे में रिपेयर करवाकर चालू करना अनिवार्य रहेगा, ऐसा नहीं करने पर प्रतिदिन रु. 100/- की पेनलटी लगाई जावेगी। लगातार जी.पी.एस. सिस्टम खराब रहने पर अनुबंध निरस्ती की कार्यवाही की जा सकेगी तथा ऐसे वाहन ठेकेदार को आगामी दो वर्ष तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा।
38. निविदाकार को उसकी निविदा स्वीकृत होने पर संलग्न अनुबंध पत्र में उल्लेखित शर्तों को मान्य कर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
39. निविदा/अनुबंध पत्र की किसी भी शर्त में कोई संशोधन करने, नई शर्त जोड़ने या उल्लेखित शर्तों में आंशिक संशोधन करने या उसे शिथिल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को रहेगा।
40. निविदा को आंशिक/पूर्ण स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, के पास सुरक्षित रहेगा, एवं यह अन्तिम होकर सभी को स्वीकार्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

ANNEXURE - II

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल एवं दुग्ध संकलन परिवहन निविदाकार के मध्य दुग्ध संकलन परिवहन हेतु किये जाने वाला अनुबंध

अनुबंधकर्ता
का फोटो

1000/-रु. के नानज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध किया जाए।

/// अनुबंध पत्र ///

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक को निष्पादित किया गया जिसका प्रथम पक्ष (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) सहकारी दुग्ध संघ मर्या., अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी हैं। एवं द्वितीय पक्षकार (निविदाकार) श्री/ श्रीमती निवासी एवं उत्तराधिकारी श्री/ श्रीमती से है सहकारी दुग्ध संघ मर्या., द्वारा गठित दुग्ध सहकारी समितियों के संग्रहस्थल से दुग्ध केन ढक्कन सहित एवं सामग्री आरएमआरडी /दुग्ध शीतकेन्द्र तक एवं आरएमआरडी /दुग्ध शीतकेन्द्र से खाली केन ढक्कन सहित एवं सामग्री संस्था तक पहुँचाने हेतु परिवहन करने वास्ते प्रथम पक्षकार(.....सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,) से वाहन का पंजीयन क्रमांक हेतु द्वितीय पक्षकार द्वारा निर्धारित समय पर वाहन परिवहन हेतु आवेदन किया है और प्रथम पक्षकार ने इसमें आगे लिखे गये निबंधनों एवं शर्तों पर द्वितीय पक्षकार का आवेदन परिवहन दर रूपये -----अक्षरी रूपये ----- प्रति कि.मी. / प्रतिट्रिप पर अग्रलिखित समस्त शर्तों के अनुसार अनुबंध किया जाता है।

अनुबंधकर्ता को अनुबंध पत्र पर स्वयं के पासपोर्ट साईज का फोटो सहित, नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध की शर्तें उभय पक्षों को मान्य होगी। दुग्ध संकलन मार्गों पर भविष्य में यदि टोल टेक्स प्रारंभ होता है तो टोल टेक्स की वास्तविक रसीदों की प्राप्ती पर संघ द्वारा अतिरिक्त भुगतान देयकों के साथ किया जावेगा।

01. **अ)** यह ठेका अवधि दिनांक से दिनांक तक प्रभावशील रहेगी। **ब)** अनुबंध द्वितीय वर्ष पश्चात संतोषजनक कार्य होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से समान दर समान शर्त पर एक-एक कर अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
02. इन शर्तों को दुग्ध संकलन परिवहन ठेके की शर्ते कहा जावेगा। शर्तों में जहाँ-जहाँ संघ शब्द आएगा, उसका तात्पर्य भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल माना जावेगा, डेरी का तात्पर्य डेरी या शीत केन्द्र से होगा। समिति का तात्पर्य दुग्ध सहकारी समितियों से होगा।
03. प्रतिदिन सुबह एवं शाम को निर्धारित समय पर धूले हुये खाली केन ढक्कन सहित संस्थाओं में पहुँचाने एवं दुग्ध से भरे केन ढक्कन सहित डेरी/दुग्ध शीतकेन्द्र तक लाने की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी। इस हेतु प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार दी गई निर्धारित समय सारणी द्वितीय पक्ष को मान्य होगी, मार्ग पर किसी संस्था का दुग्ध न लाने की दशा में द्वितीय पक्ष को कारण सहित लिखित में सूचना प्रथम पक्ष को उसी दिन/पाली में देनी होगी इस प्रकरण की जाँच करने पर प्रथम पक्ष का निर्णय अंतिम होगा एवं द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।

अधिकतम 40 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समय सारणी निर्धारित की जाकर प्रत्येक पांइट से दूध उठाने एवं खाली केन एवं सामग्री प्रदाय हेतु प्रति पांइट 3 से 5 मिनिट समय दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में संघ द्वारा गति सीमा घटाई/बढ़ाई जा सकेगी।

केन एवं ढक्कन की प्राप्ति एवं प्रदाय की मात्रा का हिसाब द्वितीय पक्ष को रखना होगा संस्थाओं में केन एवं ढक्कन बदलने की दशा में अथवा गुम होने की दशा में द्वितीय पक्ष को एक सप्ताह के अंदर निराकरण करना होगा, अन्यथा केन व ढक्कन की कीमत परिवहन बिल से काट ली जावेगी, एवं किया गया कटौत्रा वापस नहीं किया जावेगा।

04. प्रथम पक्ष द्वारा संस्था को दिये जाने वाले सभी सामान जैसे पशुआहार, धी, मिनरल मिक्सचर, चारा बीज, धी टीन/पेकेट, संस्थाओं को लगने वाला मिल्कोटेस्टर, टेस्टींग सामान एवं स्टेशनरी आदि सामान समितियों को भेजा जाता है इसका लेखा—जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं सामान अगली पाली में समिति तक पहुंचाना होगा। वाहन ठेकेदार को संबंधित समिति को सामान पहुंचाकर प्राप्ति रसीद तीन दिवस में कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी, अन्यथा इसकी राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी एवं काटी गई राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जावेगी, तथा लगातार तीन बार शिकायते रहती है तो वाहन बंद कर जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
05. यदि किसी कारण से संकलन बंद रखा जाता है और प्रथम पक्ष द्वारा इसकी सूचना दी जाती है, तो द्वितीय पक्ष को उन पालियों का कोई भाड़ा देय नहीं होगा।
06. निर्धारित समय से संस्थाओं का दूध डेरी तक लाने की पूरी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। किसी भी कारण से वाहन खराब होने पर दूसरी समान क्षमता के वाहन की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करना होगी, किसी भी दशा में डेरी पर वाहन के समय पर नहीं पहुंचने की स्थिति में, दूध खराब होने पर जो हानि होगी वह कंडिका 08 अनुसार द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी। अनुबंधित वाहन परिवर्तित करने पर उसी क्षमता का वाहन दुग्ध संकलन हेतु प्रथम पक्ष की अनुमति से चलाना होगा, अन्यथा क्षमता अनुसार परिवहन देयक का न्यूनतम दर से भुगतान किया जावेगा, साथ ही यदि किसी दिन द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध संकलन हेतु वाहन नहीं भेजा जाता है, एवं प्रथम पक्ष को व्यवस्था कर वाहन भेजना पड़ता है इससे खट्टे/फट्टे दूध एवं दर अंतर की जो भी हानि होगी, वह भी द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि में से काटी जा सकेगी।
07. संकलन वाहन में परिवहन के समय केन/डिब्बे/बोतल/जार में पानी/तेल/डीजल इत्यादि खाली बर्तन एवं अन्य सामग्री नहीं रखी जावेगी, यदि पाई जाती है तो एक दिवस के परिवहन देयक के बराबर राशि दण्ड स्वरूप काटी जावेगी, साथ ही यदि इस कारण दूध खराब हुआ तो दूध की हानि राशि भी द्वितीय पक्ष से काटी जावेगी।
08. प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय कृत्यों (ऐसे कृत्या—कृत्य जिनके लिये स्वयं द्वितीय पक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि या उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार न हों, को छोड़कर) जो द्वितीय पक्ष के काबू के बाहर हो, जैसे कारणों को छोड़कर वाहन के निश्चित समय पर नहीं आने की दशा में खराब होने वाले दुग्ध की हानि को खट्टा होने पर 50 प्रतिशत एवं फट्टा होने पर 70 प्रतिशत मूल्य का देनदार द्वितीय पक्ष रहेगा। उपरोक्त राशि उसी अवधि के देयक से काट ली जावेगी।
09. क्रमांक 08 में उल्लेखित प्राकृतिक प्रकोप/ द्वितीय पक्ष के काबू के बाहर के मानवीय कृत्या—कृत्यों का पंचनामा बनाकर द्वितीय पक्ष द्वारा उसी पाली के कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा। इसके लिए दुग्ध संघ के अधिकृत प्रतिनिधि के सत्यापन होने पर कार्यालयीन कार्यवाही के उपरांत काटी गई राशि द्वितीय पक्ष को वापिस की जा सकेगी।
10. एक्सीडेंट या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अंतर्गत कार्यरत वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त की जाती है, तथा दूध की नुकसानी होती है, तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं क्षति की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से वसूल की जा सकेगी।

11. वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः द्वितीय पक्ष का रहेगा यदि डीजल के अभाव में दुग्ध संकलन नहीं किया जाता या वाहन देरी से भेजा जाता है, तो इससे समिति/संघ को होने वाली हानि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जा सकेगी। अनुबंधित वाहन में शासन के नियमों का पालन करते हुए ईंधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है, एवं शासन या अन्य संस्था द्वारा जांच में डीजल के स्थान पर घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस पाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जप्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को संकलन के लिये अन्य वाहन की व्यवस्था करना होगी। यदि संघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है, तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली द्वितीय पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं प्रतिभूति राजसात की कार्यवाही भी की जा सकेगी।
12. द्वितीय पक्ष अथवा उसके प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने की दशा में दूध का जो भी परीक्षण परिणाम होगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
13. संघ के कार्य से संघ/संस्था के कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में लाना एवं ले जाना होगा।
14. संघ से प्रदत्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामान/सवारी दुग्ध वाहन में नहीं लाई जावेगी यदि ऐसा करते हुए किसी दिन पाया जाता है तो संघ जो दण्ड करेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा यह दण्ड अधिकतम् उसी पाली के परिवहन देयक से अधिक नहीं होगा। यदि ऐसा दण्ड करने की एक बार से अधिक बार नौबत आई, तो संघ को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध को उक्त कारण से निरस्त कर वाहन संचालन बंद कर दें, तथा हानि की वसूली कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दे।
- 15.(अ) पशुआहार ले जाने पर दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तविक भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा। समिति पाईंट पर उत्तरने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। टाटा 407 या छोटे वाहन में समितियों की मांग अनुरूप पशुआहार ले जाना आवश्यक होगा। घी 15 लीटर जार/16 लीटर कार्टून का दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तविक भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा, मिनरल मिक्सचर 25 किलो पैकिंग एवं 50 किलो पैकिंग का दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तविक भुगतान किया जावेगा।
- (ब) पशुआहार/घी/मिनरल मिक्सचर के अलावा अन्य सामग्री जो परिवहन होगी, उसका कोई भाड़ा देय नहीं होगा, जिसमें मार्ग में नई खोली जाने वाली समितियों का सामान भी सम्मिलित होगा, साथ ही बंद समितियों का सामान वापस लाया जावेगा। उक्त सामान लाने एवं ले जाने में सावधानी रखी जावेगी यदि असावधानी से कोई नुकसान होगा तो द्वितीय पक्ष की जिम्मेदारी रहेगी, एवं हानि होने पर द्वितीय पक्ष के देयक से काटी जा सकेगी।
- (स) संघ द्वारा समितियों को प्रदाय हेतु दिये गये पशु आहार से यदि संस्था पर पशुआहार कम उतारा जाता है तो संघ को अधिकार होगा कि कम उतारे गये पशुआहार की राशि एवं साथ ही रूपये 100.00 प्रति बैग की दर से अर्थदण्ड वसूल कर ले।
- (द) पशुआहार वितरण के लिये दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर द्वितीय पक्ष से प्रतिदिन प्रति बैग रूपये 100.00 प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दण्ड वसूल किया जा सकेगा। इसके पश्चात् भी पशुआहार नहीं ले जाने पर संघ द्वारा अलग से वाहन द्वारा पहुँचाया जावेगा, जिसका वास्तविक परिवहन व्यय द्वितीय पक्ष के देयक से काटा जावेगा।
16. संघ द्वारा निर्देशित रीति से प्रदत्त ट्रक शीट अनिवार्यतः भरवाने का कार्य द्वितीय पक्ष द्वारा किया जावेगा डिलेवरी चालान ट्रक शीट के साथ प्रस्तुत किया जावेगा ऐसा न करने पर समितियों से प्राप्त शिकायतें द्वितीय पक्ष को मान्य होगी तथा ऐसी हानि द्वितीय पक्ष के देयक से

वसूली योग्य होगी। मार्ग की उन समितियों पर जहां पर सीधे वाहन लगाया जाता है ऐसी समितियों की केन संख्या एवं समय की जानकारी समिति कर्मचारियों से पूरी कराई जावेगी। समिति की खाली केन दुग्ध से भरी केन ढाते समय ही प्रदाय की जावेगी यदि ऐसा नहीं किया जाता है एवं केन बीच में उतारता हैं तो इससे होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने का उत्तर दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा तथा दुरुपयोग पर आर्थिक दण्ड किया जा सकेगा।

- (अ) द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन पर जो कर्मचारी नियुक्त किये जावेंगे वे संघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे तथा उनके कृत्या—कृत्य के लिये प्रथम पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा। द्वितीय पक्ष जो भी कर्मचारी वाहन संचालन हेतु रखेगा उनके संबंध में समस्त वैधानिक नियमों का पालन करने की जबाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी। इनके द्वारा लापरवाही/अनियमितता अथवा अभद्र व्यवहार करने की दशा में संघ के आदेशानुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही करना होगी।
- (ब) द्वितीय पक्ष या उसके प्रतिनिधि द्वारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्यों/संघ अधिकारियों/कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो संघ को अधिकार रहेगा कि आर्थिक दण्ड से दण्डित करे या द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दें तथा आगामी 2 वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दे।
17. द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों का निरंतर उल्लंघन करने या असंतोषजनक कार्य करते रहने या अनुबंध अवधि के पूर्व अनुबंध हस्तांतरण न करते हुए वाहन बंद करने अथवा संघ द्वारा आदेशित निर्देशों का पालन न करने की दशा में प्रथम पक्ष को अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर प्रतिभूति की राशि जप्त कर लें। इसके अतिरिक्त यदि इस कारण प्रथम पक्ष को कोई हानि होती है, तो वह भी द्वितीय पक्ष के देयक से वसूल कर लें।
18. अनुबंध समाप्ति के पश्चात् राशि वापस प्राप्त करने के लिये समिति द्वारा प्रदत्त बकाया नहीं के प्रमाण पत्र, जो कि मार्ग पर्यवेक्षक से सत्यापित कर प्रस्तुत होंगे, प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि, ऐसे समस्त वसूली योग्य राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक तथा प्रतिभूति राशि से कटौत्रा कर लें। यदि कटौत्रा शेष रहता है, तो वसूली हेतु शासन के नियमानुसार राशि वसूल करने की कार्यवाही की जाएगी एवं परिवहनकर्ता को काली सूचीबद्ध भी किया जा सकेगा। काली सूचीबद्ध किये जाने में वाहन ठेकेदार सहित वाहन एवं वाहन परिचालन हेतु वाहन के संबंधित कर्मचारियों को भी काली सूचीबद्ध किया जा सकेगा। यदि एक ही वाहन मालिक के दुग्ध संघ के अन्य दुग्ध संकलन मार्ग पर भी वाहन चल रहे तो उन्हें भी काली सूचीबद्ध किया जा सकेगा।
19. संघ द्वारा निर्देशित किये गये दुग्ध संकलन मार्गों को बढ़ाने एवं घटाने का अधिकार संघ को रहेगा। यदि संभव हुआ तो संघ द्वारा मार्ग को अन्य मार्ग में परिवर्तन किया जाकर उस मार्ग की दुग्ध संस्था का परिवहन कार्य भी करवाया जा सकता है इसी तरह जितनी भी दूरी घटे-बढे, उसे स्वीकृत दर से भाड़े का भुगतान किया जावेगा। साथ ही मार्ग की दुग्ध संस्थाओं को भी घटाया/बढ़ाया या परिवर्तित किया जा सकता है एवं नवीन दुग्ध संस्थाओं के गठन पर उनको भी इसमें शामिल या अन्य मार्गों में शामिल किया जा सकेगा, जो कि वाहन ठेकेदार को मान्य होगा। यदि अनुबंधित दुग्ध मार्ग पर संकलन अत्यधिक कम हो जाता है तो अल्पकालीन सूचना पर मार्ग का संकलन स्थगित किया जा सकता है। संकलन वृद्धि पर पुनः मार्ग को प्रारंभ किया जा सकेगा। जितने दिन संकलन स्थगित रखा जाता है, उतने दिनों का वाहन ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। साथ ही यदि अनुबंधित मार्ग पर संकलन कम हो जाता है तो संघ हित में मार्ग को शटल अथवा बन्द किया जाकर अन्य मार्ग से संबंद्ध किया जा सकेगा। शटल मार्ग करने से दूरी कम होने पर भी अनुबंधित दर से ही जितना वाहन चलेगा उतनी दूरी का भुगतान किया जावेगा।
20. अनुबंधित वाहनों पर पीछे हुड़ पर अनुबंध अवधि में बांस का टट्टर एवं उस पर त्रिपाल आवश्यक रूप से लगी होना चाहिये अन्यथा वाहन निर्धारित समय या समय से पूर्व आने पर भी खट्टे/फट्टे दूध की हानि राशि द्वितीय पक्ष के देयक से काटी जावेगी एवं आर्थिक दंड भी किया जावेगा तथा इससे होने वाली अन्य हानियों का कटौत्रा भी द्वितीय पक्ष के देयक से किया

जा सकेगा। अनुबंधित वाहन में पीछे की ओर बिजली का बल्ब चालू हालत में रहेगा, जिससे खाली केनो को गिनने में कोई दिक्कत न हो। इसी प्रकार संघ की सूचना पर दूध से भरे केनो पर पानी छिड़कने की व्यवस्था भी द्वितीय पक्ष को करना होगी। ऐसा न करने पर जो हानि होगी, उसका दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

21. यदि चैकिंग के दौरान अथवा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जाँच करने पर पाया जाता है कि, वाहन कर्मचारी दूध में गड्बड़ी, हेराफेरी, केन से दूध निकालने, दूध का विक्रय करते हुए, वाहन से दूध से भरे हुए जार/बोतल या दूध पीते हुए पाये जाते हैं या किसी भी प्रकार की अनियमितताएँ करते पाए जाते हैं, मार्ग में पड़ने वाली सभी समितियों को ठेके की अवधि में यदि दूध में कमी आई है और इससे संस्थाओं को एवं संघ को जो हानि हुई है उसका देनदार द्वितीय पक्ष रहेगा। यह राशि द्वितीय पक्ष के देयक से वसूली योग्य रहेगी तथा द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि जप्त करने का अधिकार भी प्रथम पक्ष को होगा तथा आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
22. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सहकारी/सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से संघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो उसका जवाबदार द्वितीय पक्ष होगा तथा नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।
23. द्वितीय पक्ष हड्डताल/कार्यबन्दी नहीं करेगा एवं ना ही इसमें भाग लेगा यदि द्वितीय पक्ष ऐसा करता है तो उससे होने वाली हानि एवं प्रथम पक्ष द्वारा जो भी दण्ड किया जावेगा, उसके लिये द्वितीय पक्ष जवाबदार रहेगा। साथ ही प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लेवें।
24. डेरी परिधि के अंदर तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाये जावेंगे, डेरी परिधि में वाहन की साफ सफाई नहीं की जावेगी। डेरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहाने धोने जैसे कार्य नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो संघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड किया जावेगा उसका द्वितीय पक्ष देनदार रहेगा, साथ ही बिना अनुमति केनो को पानी भरने में प्रयोग नहीं किया जावेगा यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो संघ द्वारा जो दण्ड दिया जावेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा। इसके अतिरिक्त डेरी परिसर में अंदर आने के पश्चात् जब तक वह वाहन वापस खाली बाहर नहीं जाता है, तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ ही रहेंगे।
25. वाहन में सामान उतारने व समितियों पर दूध के केन चढ़ाने उतारने, सामान की देखरेख करने एवं केनो पर पानी छिड़कने आदि का कार्य भी द्वितीय पक्ष के द्वारा करवाया जावेगा।
26. वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है, तो 24 घंटों में पुनः द्वितीय पक्ष द्वारा सुधरवाया जावेगा।
27. दुग्ध वाहन पर प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऐसी सूचनाएँ जिसमें दुग्ध विक्रय हेतु नहीं हैं एवं सुदाना, पशुआहार एवं दुग्ध पदार्थ का विज्ञापन लिखवाना होगा।
28. इस अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राशि संघ/समितियों की निकलेगी तो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष की चल/अचल संपत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिये भी द्वितीय पक्ष और उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेगा।
29. परिस्थिति वश अथवा आवश्यकता होने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्त को और सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्त पर परस्पर चर्चा कर जो निर्णय लिया जावेगा, वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।

30. द्वितीय पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमती /कुं संबंध
 "उम्र को पूर्ण होशोहवास में नामांकित घोषित करता है। द्वितीय पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमती/कुं को संघ से व्यवहार करने का अधिकारी रहेगा। इसकी स्वीकृति के वारिस के हस्ताक्षर करवा कर द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष को देगा।
31. द्वितीय पक्ष तथा प्रथम पक्ष के बीच मतभेद होने पर जो निर्णय संघ के अध्यक्ष द्वारा किया जावेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
32. संघ के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में द्वितीय पक्ष का कोई निकट का रिश्तेदार पति, पत्नि, पुत्री, भाई बन्धु नहीं है यह तथ्य द्वितीय पक्ष शपथ पत्र पर प्रस्तुत करेगा। अगर जॉच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह यह अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर लें।
33. द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचय पत्र मय फोटो के बनवाएं जावेगे। वह हर समय गाड़ी के साथ रहेंगे, एवं उसकी एक प्रति दुग्ध संघ के कार्यालय में देंगे। वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक ही रहेगा, कर्मचारी बदलने पर पुनः उनका परिचय पत्र एवं फोटो कार्यालय में देना होगा। वाहन चालक एवं सहायक का नियुक्ति आदेश द्वितीय पक्ष द्वारा जारी किया जावेगा एवं उसकी एक प्रति दुग्ध संघ को भी पृष्ठांकित करेगा। परिवर्तन की स्थिति में दुग्ध संघ को तत्काल सूचित किया जाएगा।
34. द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध परिवहन के साथ दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ (घी, मीठा दूध, श्रीखण्ड, मट्ठा) आदि की भरी एवं खाली क्रेट भी लाई एवं ले जाई जावेगी। यदि दुग्ध संकलन परिवहन के साथ विपणन की दरें भी अनुमोदित हैं तो किसी प्रकार का अतिरिक्त भाड़ा देय नहीं होगा। यदि दुग्ध संकलन परिवहन के साथ दुग्ध विपणन की दरें अनुमोदित नहीं हैं और निर्धारित मार्ग के अलावा वाहन को विपणन हेतु भेजा जाता है, तो उसका अनुबंधित दरों से भाड़ा देय होगा। इस हेतु दुग्ध वितरण हेतु निर्धारित समय तक वाहन को रोका जा सकेगा।
- (अ) दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण हेतु दुग्ध संघ की अनुमोदित दर अनुसार परिवहन भुगतान किया जाएगा। इस हेतु द्वितीय पक्ष को क्रेट का पूर्ण हिसाब रखना होगा एवं खाली क्रेट संघ में प्रतिदिन जमा करानी होगी।
- (ब) दूध वितरक से प्राप्त मांग एवं रसीदे डेरी में प्रतिदिन जमा कराना होगी।
- (स) दिये गये दूध एवं दूध प्रदार्थों की पावती संघ में लाकर देनी होगी।
- (द) समय पर दूध एवं दूध प्रदार्थ नहीं पहुचानें की स्थिति में सम्पूर्ण दूध एवं दूध पदार्थ का मूल्य वाहन ठेकेदार के देयक से वसूली की कार्यवाही की जावेगी।
35. स्थानीय, मध्यप्रदेश शासन, भारत शासन द्वारा जो भी कर लागू किये जावें, वह द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काट लिये जावें एवं उस राशि को शासकीय कोषालय में जमा किया जावेगा एवं उसका प्रमाण पत्र प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जावेगा। आयकर विभाग का स्थाई लेखा संख्या नम्बर प्रथम पक्ष देगा।
36. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक होने पर लाईसेन्स प्राप्त करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेंस प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी, अन्यथा कार्यआदेश निरस्त कर EMD राजसात कर ली जावेगी।
37. द्वितीय पक्ष का जिस दुग्ध संकलन मार्ग का ठेका होता है यदि मार्ग खराब हो तो उन संस्थाओं का दुग्ध संकलन लाने हेतु स्वयं द्वितीय पक्ष को व्यवस्था करना होगी, जिसका संपूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा, इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा, यदि ऐसी व्यवस्था

करने में द्वितीय पक्ष असफल होता है, तो प्रथम पक्ष द्वारा व्यवस्था की जावेगी वह द्वितीय पक्ष को मान्य रहेगी तथा उतनी राशि द्वितीय पक्ष के देयक से काटकर संबंधित को भुगतान करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा। मार्ग खराब होते हुए भी वेकल्पिक व्यवस्था न करते हुये अपने वाहन का उपयोग द्वितीय पक्ष करता है, तथा इस कारण यदि संघ/समितियों को हानि होती है, तो उस हानि का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा एवं ऐसी हानि द्वितीय पक्ष के देयक से काटने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

38. दूसरी मंजिल में केन लाने हेतु पटियों का पार्टीशन करना होगा किसी भी स्थिति में केनों के ऊपर केन रखने की अनुमति नहीं दी जावेगी। पार्टीशन व्यवस्था द्वितीय पक्ष को स्वयं करना होगी।

39. वाहन में दुग्ध से भरे केनों की क्षमता निम्नानुसार होगी।

जीप/टेम्पो/या समान क्षमता का वाहन	25 केन
पिकअप या समान क्षमता का वाहन	40 केन
मेटाडोर/ट्रेक्टर या समान क्षमता का वाहन	55 केन
टाटा 407 या समान क्षमता का वाहन	75 केन
टाटा 608/आयशर/डी.सी.एम./माजदा/आलवीन या समान क्षमता का वाहन	120 केन

अनुबंधित वाहन में उक्त उपरोक्त क्षमता से अधिक केन आने पर प्रति पाली रूपये 5.00 प्रति केन का अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।

40. परिवहन देयकों के भुगतान हेतु प्रत्येक माह दिनांक 1 से दिनांक 15 तक का देयक द्वितीय पक्ष द्वारा दिनांक 18 तक संघ/संयंत्र में देना होंगे, जिसका भुगतान आगामी माह की संभवतः दिनांक 10 तक किया जावेगा, उसी प्रकार प्रत्येक माह की दिनांक 16 से दिनांक 30/31 तक का देयक आगामी माह की दिनांक 3 तक संघ/संयंत्र में प्रस्तुत करना होंगे जिसका भुगतान आगामी माह की संभवतः दिनांक 25 तक किया जावेगा।

41. संघ द्वारा दुग्ध समितियों हेतु प्रति पाली दी जाने वाली वेट स्लिप एवं एडवाईज पहुँचाने एवं उसकी प्राप्ति लाकर संघ कार्यालय में समय पर पहुँचाने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रति पाली प्रति संस्था के हिसाब से रूपये 5.00 एवं दण्ड स्वरूप द्वितीय पक्ष के देयक से कटौत्रा की जावेगी।

42. यदि किसी दुग्ध संकलन मार्ग की किसी भी एक या अनेक समितियों में निरंतर दूध या फेट की शिकायत संघ कार्यालय, को प्राप्त होती है, तो संघ के अधिकारी/पर्यवेक्षक 3 पाली तक उक्त मार्ग के दुग्ध वाहन के साथ जावेंगे, अधिकारी/पर्यवेक्षक दूध वाहन के साथ संलग्न करने पर उन दिनों में यदि किसी भी समिति में कोई कमी न आती है, तो यह मानकर कि दुग्ध या फेट में कमी वाहन स्तर पर ही हो रही है, समितियों को होने वाले नुकसान की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि से काटी जावेगी।

43. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताए अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, परन्तु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यों में सन्तुष्टि होने की दशा में पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी। द्वितीय पक्ष द्वारा इस अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस अनुबंध पत्र को निरस्त करने व अनुबंध पत्र निरस्त करने की दशा में संघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

44. संघ द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार ही द्वितीय पक्ष को दुग्ध परिवहन कार्य करना होगा। यदि दुग्ध परिवहन वाहन निर्धारित समय पर दुग्ध परिवहन पार्स्न्ट पर नहीं पहुँचता है तो ऐसी

दशा में समिति कर्मचारी निर्धारित समय के पश्चात् एक घंटे तक परिवहन पाईन्ट पर उपस्थित रहेगा। इस अवधि में भी वाहन दुग्ध परिवहन नहीं करता है तो उस दूध के खटटे/फटटे से हुई हानि की राशि एवं उस दूध को डेरी डाक/शीतकेन्द्र तक पहुँचाने में समिति द्वारा किये गये व्यय की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।

45. स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है, तो ही अनुबंधित दर में कमी/वृद्धि की जावेगी दर में कमी/वृद्धि की गणना निम्नानुसार की जावेगी।

क्र.	वाहन का प्रकार	क्षमता	औसत प्रति लीटर
1.	टेम्पो/	20 केन (1.0 टन)	30 कि.मी.
2.	टाटा एसीई/मिनीडोर/वैन	30 केन (1.5 टन)	22 कि.मी.
3.	पिक-अप/मेटाडोर	40 केन (2.0 टन)	15 कि.मी.
4.	टाटा 407 एवं समान क्षमता	55 केन (2.5 टन)	10 कि.मी.
5.	टाटा 608, 609 709 आयशर माजदा	75 केन (3.5 टन)	08 कि.मी.
6.	ट्रैक्टर	55 केन (6.0 टन)	07 कि.मी.
7.	टाटा 807/मिनी ट्रक	120 केन (6.0 टन)	06 कि.मी.

इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. पर डीजल दर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदनुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी माह में एक बार की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्ट्स, आईल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंध दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।

46. अनुबंधित वाहन पर झायवर एवं क्लीनर द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होंगे, तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियमों के अंतर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व द्वितीय पक्ष का स्वयं का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौत्रा का लेखा—जोखा द्वितीय पक्ष स्वयं को ही रखना होगा।
47. विशेष परिस्थितियों में अनुबंधित वाहन से कम क्षमता का वाहन चलाया जाने पर अनुबंधित दर में 20 प्रतिशत का कटौत्रा किया जावेगा किन्तु वाहन ठेकेदार को मार्ग पर संकलित पूरा दूध लाना होगा। यह अनुमति वर्ष में 2-3 बार ही दी जा सकेगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह अवधि तीन दिवस से अधिक नहीं होगी। यदि इस अवधि में पुनः वाहन ठेकेदार द्वारा अनुबंधित क्षमता का वाहन नहीं लगाया तो उसका अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।
48. संकलन मार्ग पर बल्कि मिल्क कूलर स्थापित किये जाने पर संकलन मार्ग के वाहन ठेकेदार को 01 माह पूर्व का नोटिस दिया जाकर वाहन बंद किया जा सकेगा।
49. डेयरी संयंत्र/शीतकेन्द्र में अवरोध होने पर संकलन वाहनों को निकट के अन्य संयंत्र/शीतकेन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा मना किया जाता है तो अन्य वाहन व्यवस्था करने पर अन्तर की राशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जा सकेगी।
50. संघ के द्वारा जो भी निर्धारित दुग्ध संकलन मार्ग निश्चित किया गया है, उसी पर वाहन खाली/भरी चलावे, यदि सत्यापन के समय पाया गया कि, वाहन निर्धारित मार्ग से नहीं चलाया जा रहा है तो न्यूनतम एक पाली के परिवहन का आर्थिक दण्ड किया जावेगा, साथ ही परिवर्तित मार्ग से जो दूरी कम होगी उसका सम्पूर्ण अनुबंध अवधि का कटौत्रा किया जावेगा।
51. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन लगाने के एक सप्ताह के अंदर स्थाई लेखा संख्या (पैन नंबर) स्व सत्यापित की छायाप्रति संघ कार्यालय को प्रेषित करना होगी। तत्पश्चात ही परिवहन देयक की स्वीकृति की कार्यवाही द्वितीय पक्ष द्वारा की जावेगी।

52. द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध अवधि में यदि अपना वाहन आगे नहीं चलाना चाहता है तो उसके लिये वह अन्य ठेकेदार को उसी दर में समान क्षमता एवं मॉडल के वाहन को चलाने के लिये तैयार कर अनुबंध करावेगा इस हेतु हस्तांतरण शुल्क राशि रूपये 5000.00 संघ में जमा किया जावेगा। प्रथम चार माह में अनुबंध हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जावेगी।
53. परिवहन देयक से चार पहिया वाहन हेतु रु. 15.00 तथा छः पहिया वाहनों हेतु रु. 20.00 प्रतिदिन केन रख—रखाव कटोत्रा किया जावेगा।
54. द्वितीय पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित हो कि अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग होवे एवं अनुरक्षण के अभाव में दुर्घटना या खराबी उत्पन्न न हो।
55. दुग्ध परिवहन हेतु अनुबंधित वाहन में जी.पी.एस. सिस्टम (GPS System) वाहन ठेकेदार को स्वयं के व्यय से लगवाना अनिवार्य होकर उसे चालू स्थिति में रखने की समस्त जवाबदारी होगी। यदि जी.पी.एस. सिस्टम खराब होता है तो उसे स्वयं के व्यय से 24 घण्टे में रिपेयर करवाकर चालू करना अनिवार्य रहेगा, ऐसा नहीं करने पर प्रतिदिन रु. 100/- की पेनल्टी लगाई जावेगी। लगातार जी.पी.एस. सिस्टम खराब रहने पर अनुबंध निरस्ती की कार्यवाही की जा सकेगी तथा ऐसे वाहन ठेकेदार को आगामी दो वर्ष तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा।
56. विवाद होने की स्थिति में समस्त न्यायालयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र भोपाल रहेगा।

मैं द्वितीय पक्षकार अनुबंध शर्तों का अवलोकन भलीभौति एवं होशोहवास में कर लिया है एवं निम्न साक्षियों के समक्ष प्रथम पक्ष से अनुबंध करता हूँ।

प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित	हस्ताक्षर अनुबंधकर्ता नाम पिता/पति का नाम पता दूरभाष क्रं मोबाइल नम्बर स्थाई लेखा संख्या पेन

अनुबंधकर्ता जमानतदार का नाम एवं हस्ताक्षर

1 हस्ताक्षर —————
नाम —————
पता —————
मो० नं. —————
आई.डी. प्रूफ —————
2 हस्ताक्षर —————
नाम —————
पता —————
मो० नं. —————
आई.डी. प्रूफ —————

अनुबंधकर्ता गवाह का नाम एवं पता

1 हस्ताक्षर —————
नाम —————
पता —————
मो० नं. —————
आई.डी. प्रूफ —————
2 हस्ताक्षर —————
नाम —————
पता —————
मो० नं. —————
आई.डी. प्रूफ —————

नोट:— उपरोक्त अनुबंध पत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन कर सत्यापन किया गया।

प्रबंधक दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र
सील सहित

**भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल एवं तरल नत्रजन परिवहन निविदाकार
के मध्य दुग्ध संकलन परिवहन हेतु किये जाने वाला अनुबंध**

अनुबंधकर्ता
का फोटो

1000/-रु. के नानज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध किया जाए।

/// अनुबंध पत्र ///

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक को निष्पादित किया गया जिसका प्रथम पक्ष (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) सहकारी दुग्ध संघ मर्या., अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी हैं। एवं द्वितीय पक्षकार (निविदाकार) श्री/ श्रीमती निवासी एवं उत्तराधिकारी श्री/ श्रीमती

से है सहकारी दुग्ध संघ मर्या., द्वारा गठित द्वारा गठित सहकारी समितियों को तरल नत्रजन, फोजन सीमन, दवाएं, चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान सामग्री पहुँचाने एवं नत्रजन प्रदेश के बाहर से परिवहन कर लाने वास्ते प्रथम पक्षकार(.....सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,) से वाहन का पंजीयन क्रमांक हेतु द्वितीय पक्षकार द्वारा निर्धारित समय पर वाहन परिवहन हेतु आवेदन किया है और प्रथम पक्षकार ने इसमें आगे लिखे गये निबंधनों एवं शर्तों पर द्वितीय पक्षकार का आवेदन परिवहन दर रूपये -----अक्षरी रूपये ----- प्रति कि.मी./प्रतिट्रिप पर अग्रलिखित समस्त शर्तों के अनुसार अनुबंध किया जाता है।

अनुबंधकर्ता को अनुबंध पत्र पर स्वयं के पासपोर्ट साईंज का फोटो सहित, नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध की शर्ते उभय पक्षों को मान्य होगी। दुग्ध संकलन मार्गों पर भविष्य में यदि टोल टेक्स प्रारंभ होता है तो टोल टेक्स की वास्तविक रसीदों की प्राप्ति पर संघ द्वारा अतिरिक्त भुगतान देयकों के साथ किया जावेगा।

1. अ) यह ठेका अवधि दिनांक से दिनांक तक प्रभावशील रहेगी।
ब) अनुबंध द्वितीय वर्ष पश्चात संतोषजनक कार्य होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से समान दर समान शर्त पर एक-एक कर अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
2. इन शर्तों को तरल नत्रजन परिवहन ठेके की शर्ते कहा जावेगा। शर्तों में जहाँ-जहाँ संघ शब्द आएगा, उसका तात्पर्य भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल, डेयरी/शीत केन्द्र का तात्पर्य भोपाल डेयरी या शुजालपुर, राजगढ़, नरसिंहगढ़, लटेरी, सॉची, सोहागपुर, हरदा, बरेली, मालीवार्यों, बैतूल, मुलताई, गैरतगंज तथा शाहगंज, समिति का तात्पर्य दुग्ध सहकारी समिति/कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र से होगा एवं ठेकेदार से तात्पर्य वाहन मालिक होगा।
3. दूसरी मंजिल में तरल नत्रजन पात्र लाने हेतु पटियों का पार्टीशन करना होगा। किसी भी स्थिति में पात्र के रखने की अनुमति नहीं दी जावेगी। पार्टीशन व्यवस्था वाहन ठेकेदार को स्वयं के खर्च पर करना होगा।
4. तरल नत्रजन पात्र की आवश्यक सुरक्षा हेतु वाहन में रबर मेटिंग एवं त्रिपाल लगाना आवश्यक है, साथ ही यदि वाहन में लापरवाही के कारण तरल नत्रजन पात्र खराब होते हैं तो इस हानि का दायित्व ठेकेदार का होगा।
5. संघ 3000 कि.मी. औसत निर्धारित दूरी प्रतिमाह किये जाने के आधार पर अनुबंधित करता है। यह औसत दूरी पूरा करने में वाहन का उपयोग तरल नत्रजन क्य, वितरण एवं संघ के अन्य परिवहन कार्य जेसे पशु आहार, घी, दुग्ध संकलन परिवहन, दुग्ध संग्रहण एवं जॉच उपकरण संघ से सम्बंधित दुग्ध शीत केन्द्रों को भेजना एवं वाहन से दौरा आदि का कार्य भी लिया जा सकेगा।
6. संघ के कार्यक्षेत्र एवं कार्यक्षेत्र के बाहर यदि संघ कार्य हेतु वाहन जाता है तो टोल टेक्स एवं परमिट व्यय आदि किसी प्रकार का पृथक व्यय संघ द्वारा भुगतान नहीं किया जावेगा। संघ कार्यक्षेत्र में अचानक दुग्ध संकलन वाहन बंद होने की स्थिति में संघ के निर्देशानुसार दुग्ध संकलन कार्य सम्पादन एवं निर्धारित समय से विलम्ब से आने व दुग्ध खट्टा-फट्टा प्राप्त होने पर संघ के

संकलन परिवहन नियमानुसार दायित्व ठेकेदार का होगा।

7. प्राकृतिक प्रकोप एवं मानवीय कृत्यों से परे जैसे कारणों को छोड़कर वाहन के समय पर न आने या अनुपस्थित रहने अथवा आदेश की अवहेलना करने की दशा में वाहन के बदले अन्य वाहन लगाया जाता है तो लगाये गये वाहन की अंतर राशि एवं आर्थिक दण्ड जो कि कम से कम रूपये 500.00 ठेकेदार से वसूल किये जावेगा।
8. दुर्घटना या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अंतर्गत कार्यरत वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त की जाती है, तथा तरल नत्रजन पात्र को नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी एवं क्षति की राशि ठेकेदार के देयक से वसूल की जा सकेगी।
9. वाहन हेतु डीजल व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः ठेकेदार का रहेगा। यदि डीजल के अभाव में कार्य नहीं किया जाता या वाहन देरी से भेजा जाता है तो इससे समिति/संघ को होने वाली हानि की पूर्ति ठेकेदार के परिवहन देयक से वसूल की जावेगी।
10. संघ के कार्य से संघ/संस्था के कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में लाना एवं ले जाना पड़ेगा।
11. ठेकेदार द्वारा वाहन पर जो कर्मचारी नियुक्त किये जावेगा, वे संघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। इनके द्वारा लापरवाही या अप्रद व्यवहार करने की दशा में संघ के आदेशानुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही ठेकेदार को करनी होगी।
12. यदि ठेकेदार या ठेकेदार के प्रतिनिधि अथवा वाहन कर्मचारियों द्वारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्यों/संघ अधिकारियों/कर्मचारियों से अप्रद व्यवहार किया जाता है तो संघ को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार से आर्थिदण्ड वसूल कर अनुबंध निरस्त कर सकें।
13. ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तों का निरन्तर उल्लंघन करने या असंतोषजनक कार्य करते रहने या अनुबंध अवधि के पूर्व अनुबंध हस्तांतरण न करते हुए वाहन बंद करने अथवा संघ द्वारा आदेशित निर्देशों का पालन न करने की दशा में संघ को अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर प्रतिभूति की राशि जप्त कर ले। इसके अतिरिक्त यदि इस कारण संघ को कई हानि होती है तो वह भी ठेकेदार के देयक से वसूल की जा सकेगी।
14. वाहन पर सदैव त्रिपाल रहेगा एवं वाहन के सभी बल्ब चालू हालत में रहेगा।
15. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सहकारी/सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी एवं यदि इस कारण से संघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो वह ठेकेदार के परिवहन देयक से काटी जा सकेगी।
16. ठेकेदार द्वारा हड़ताल या कार्य बंद में भाग नहीं लिया जावेगा। ऐसा करने पर समस्त हानि एवं आर्थिक दण्ड ठेकेदार के देयक से वसूल किया जा सकेगा। साथ ही संघ को अधिकार होगा कि इस कारण से ठेकेदार से अनुबंध निरस्त कर दें एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लेवें।
17. वाहन का स्पीडों मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा। यदि खराब हो जाता है तो 24 घण्टे में सुधरवाने का दायित्व ठेकेदार का होगा। स्पीडो मीटर में त्रुटि पाये जाने पर हानि एवं दण्ड की वसूली ठेकेदार के देयक से की जा सकेगी।
18. इस अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राशि ठेकेदार से संघ या समितियों की निकलेगी तो संघ को ठेकेदार की चल/अचल सम्पत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा। इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो इसके लिए भी ठेकेदार जिम्मेदार रहेगा।
19. परिस्थिति वश अथवा आवश्यकता होने पर संघ को यह अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्तों को और सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्तें पर परस्पर चर्चा कर निर्णय लिया जावेगा, जो ठेकेदार को मान्य होगा।
20. अनुबंध अवधि में यदि ठेकेदार वाहन आगे नहीं चलाना चाहता है तो इसके लिए वह किसी अन्य ठेकेदार को उसी दर पर समान क्षमता के वाहन को चलाने के तैयार कर अनुबंध करायेगा एवं इस

हेतु हस्तान्तरण शुल्क रूपये 5000.00 (रूपये पाँच हजार) जमा करायेगा। प्रथम चार माह में ठेका हस्तान्तरण की अनुमति नहीं दी जावेगी।

21. मैं अपना वारिस श्री————— संबंध————— उप्र——वर्ष को पूर्ण होश हवास में नामांकित घोषित करता है। मेरी मृत्यु या मेरी पूर्ण अपंगता/मृत्यु में श्री .————— को संघ से समस्त व्यवहार करने का अधिकार रहेगा।
22. अनुबंधकर्ता तथा अधिकृत अधिकारी के बीच मतभेद होने पर जो निर्णय संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय अथवा उनके द्वारा प्रधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जावेगा। वह मुझे मान्य होगा।
23. दुग्ध समिति एवं दुग्ध संघ के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मंडल के सदस्य में से कोई मेरा निकट रिश्तेदार पति, पत्नी, पुत्री, सगे भाई बंधु नहीं है। अगर जाँच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गये तो संघ को यह अधिकार होगा कि वह मेरा अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूर्ति राशि राजसात कर लें।
24. ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचय पत्र मय फोटो के ठेकेदार उपलब्ध करायेगा, जो हर समय गाड़ी के साथ रहेंगे। वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक रहेगा।
25. स्थानीय शासन, मध्यप्रदेश शासन अथवा भारत शासन द्वारा जो भी कर लागू किये जावेंगे, वह ठेकेदार के बिलों से काट लिये जावे तथा राशि को शासकीय कोषालय में जमा कर दिया जावें। उसका प्रमाण—पत्र संघ द्वारा ठेकेदार को दिया जावेगा।
26. परिवहन देयकों के भुगतान हेतु 1 से 15 तारीख तक का देयक ठेकेदार द्वारा 20 तारीख तक तथा 16 से 31 तारीख तक का देयक 5 तारीख तक संघ कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिसका भुगतान 5 एवं 20 तारीख तक किया जावेगा।
27. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताये अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, इसी प्रकार वाहन ठेकेदार भी 90 दिन पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है। परंतु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यों में सन्तुष्टि होने की दशा में अथवा पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी। ठेकेदार द्वारा इस अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस अनुबंध पत्र को निरस्त कर देवें। अनुबंध पत्र निरस्त करने की दशा में संघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जबावदारी ठेकेदार की होगी।
28. स्वीकृत दर अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी या वृद्धि होती है तो दर वृद्धि या कमी की प्रति कि.मी. गणना निम्नानुसार की जावेगी :—

क्रमांक	वाहन का प्रकार	औसत प्रति कि.मी.
1	टाटा 407 एवं समान क्षमता का वाहन	10 कि.मी.
2	महेन्द्रा पिक-अप एवं समान क्षमता का वाहन	12 कि.मी.

इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. डीजल दर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदानुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी दिनोंक से प्रति कि.मी. कमी/वृद्धि की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्ट्स, आईल, टायर ट्यूब एवं करां आदि में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नहीं की जायेगी।

29. अनुबंधित वाहन पर चालक या सहायक ठेकेदार द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होंगे तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियमों के अंतर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व अनुबंधकर्ता स्वयं का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौत्रा का लेखा—जोखा वाहन ठेकेदार स्वयं को ही रखना होगा।
30. अनुबंधित वाहन की क्षमता से कम क्षमता वाला वाहन चलाने पर अनुबंधित दर से 10 प्रतिशत का कटौत्रा किया जावेगा।
31. ठेका वाहन संघ के कार्य में कही रात्रि विश्राम करता है तो ऐसे प्रत्येक रात्रि विश्राम के लिए रूपये 25/- प्रति रात्रि विश्राम संघ द्वारा अतिरिक्त दिया जावेगा।

32. वाहन संघ के कार्य में संलग्न होने पर पुलिस, आर.टी.ओ. अथवा किसी अन्य विभाग आदि द्वारा वाहन रोका जाता है अथवा किसी नियम के अंतर्गत रोका जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। अन्य वाहन की व्यवस्था तुरंत कर संघ कार्य को निरन्तर रखेन की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
33. ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित हो कि अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग होवे एवं अनुरक्षण के अभाव में दुर्घटना या खराबी उत्पन्न न हो।
34. विवाद होने की स्थिति में समस्त न्यायालयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र भोपाल रहेगा।

मैं द्वितीय पक्षकार अनुबंध शर्तों का अवलोकन भलीभौति एवं होशोहवास में कर लिया है एवं निम्न साक्षियों के समक्ष प्रथम पक्ष से अनुबंध करता हूँ।

प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित	हस्ताक्षर अनुबंधकर्ता नाम पिता/पति का नाम पता दरभाष क्र. मोबाइल नम्बर स्थाई लेखा संख्या पेन

अनुबंधकर्ता जमानतदार का नाम एवं हस्ताक्षर

अनुबंधकर्ता गवाह का नाम एवं पता

1 हस्ताक्षर _____
 नाम _____
 पता _____
 मो0 नं. _____
 आई.डी. प्रूफ _____
 2 हस्ताक्षर _____
 नाम _____
 पता _____
 मो0 नं. _____
 आई.डी. प्रूफ _____

1 हस्ताक्षर _____
 नाम _____
 पता _____
 मो0 नं. _____
 आई.डी. प्रूफ _____
 2 हस्ताक्षर _____
 नाम _____
 पता _____
 मो0 नं. _____
 आई.डी. प्रूफ _____

नोट:— उपरोक्त अनुबंध पत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन कर सत्यापन किया गया।

फार्मA

ANNEXTURE -III

(नोट :— निविदाकार इस प्रोफार्म को पूर्ण भरकर स्केन कर तकनीकी बिड के रूप में अपलोड करेंगे।)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
हबीबगंज, भोपाल

विषय :— दुग्ध परिवहन वाहन।

महोदय,

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के द्वारा प्रकाशित सूचना को एवं इस दस्तावेज को भली—भांति पढ़ व समझ लिया है। यह दस्तावेज मेरे द्वारा से डाउन लोड किया है।

1. मैं इस दस्तावेज की शर्तों व नियमों के पालन के लिये सहमत हूँ।
2. मैं मार्ग क्रमांक मार्ग का नाम— शीत
केन्द्र का नाम—. हेतु परिवहन दर भर रहा/रही हूँ।
3. मेरा विवरण नियमानुसार है :—

निविदाकार अपना
पासपोर्ट साइज का
फोटो यहाँ चिपकायें
एवं स्वप्रमाणित
हस्ताक्षर करना होगे
जो आधे फोटो पर व
आधे इस पेज पर।

क्रं.	विवरण	विवरण
3.1	निविदाकार का पूरा नाम	
	पिता का नाम	
	पता :—	
	मोबाईल नम्बर	
	ई—मेल	
3.2	प्रस्तुत वाहन का प्रकार	
	वाहन का माडल वर्ष	
	वाहन का पंजीयन क्रमांक	
	वाहन की क्षमता	
	वाहन का बीमा क्रमांक	
3.3	तकनीकी बिड के साथ Online जमा की गई वांछित अर्नेस्ट मनी का रसीद नम्बर।	
3.4	निविदाकार का आयकर स्थायी खाता क्रमांक	
3.5	निविदा फार्म क्रय किये जाने/बेबसाईट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा फार्म के मूल्य की मनी रसीद/ड्राफ्ट विवरण।	बैंक ड्राफ्ट/मनी रसीद का नम्बर जारी करने वाले बैंक/कार्यालय का नाम दिनांक राशि

1. मेरी गत वर्ष में अमानत/प्रतिभूति राशि दुग्ध परिवहन निविदा हॉ/नहीं
अन्तर्गत राजसात की गई है। यदि हॉ तो विवरण दें।

2. क्या आपको दुग्ध संघ द्वारा निविदा भरने या कार्य से प्रतिबंधित किया गया था। हॉ/नहीं

यदि दुग्ध संघ द्वारा मुझे परिवहन कार्य सौपा जाता है तो मैं निर्धारित अवधि में नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करके अनुबंध करने के लिये पूर्णतः सहमत हूँ।

मैं यह शपथपूर्वक घोषणा भी करता/करती हूँ कि मुझे किसी शासकीय/अद्वे शासकीय/शासकीय एजेन्सी ने निविदा प्रस्तुती की दिनांक तक काली सूची में दर्ज नहीं किया है/सम्बंधित संस्था की आगामी, निविदा में भाग लेने से वंचित नहीं किया है। यदि उपरोक्तानुसार शपथ में जानकारी असत्यता/त्रुटि पाई जाती है तो मेरी निविदा निरस्ती योग्य होगी। मैं इसके द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियाँ मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही है एवं इस हेतु मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम
पता

ANNEXTURE -IV

प्रति

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
हबीबगंज, भोपाल(म.प्र.)

विषय :— दुग्ध परिवहन वाहन हेतु दर प्रस्तुत करने बाबद्।

महोदय,

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के द्वारा आमंत्रित “ई-निविदा” के अनुसारदुग्ध संघ से सम्बंधित दुग्ध शीत केन्द्र संबंधित दुग्ध संकलन मार्गों पर दुग्ध परिवहन कार्य हेतु निम्नानुसार दर प्रस्तुत कर रहा हूँ :—

नोट :—

- (1) सम्बंधित मार्ग पर आने वाले टोल शुल्क की राशि का भुगतान पृथक से नहीं किया जाएगा।
- (2) यह भाव पत्र सिर्फ आनेलाईन ही भरा जावे।

दिनांक 01.06.2020 से 31.05.2022 तक (दो वर्ष की अवधि हेतु)

क्र.	शीत केन्द्र का नाम	संकलन मार्ग क्रमांक/मार्ग कोड	संकलन मार्ग का नाम	अनुमानित दरी कि.मी. प्रति पाली	वांछित वाहन	न्यूनतम केन क्षमता (40ली.)	दर रु. प्रति कि.मी
1	मालीवायाँ	44 स / 0303	रिठवाड—चकलदी—मालीवायाँ	100	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
2		44 द / 0304	माजरकुइ—नीलकंठ—मालीवायाँ	128	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
3		44 इ / 0305	इटावाखुद—किशनपुर—गोपालपुर—मालीवायाँ	226	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
4	पचमा	3 / 1503	बेहलोट—रिटहरी—पचमा	126	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
5	हरदा	41 अ / 2101	निरखी—हरदा	115	टाटा ए.सी.इ. या समकक्ष	30 केन	
6		41 ब / 2102	रहटगांव—हरदा	130	टाटा ए.सी.इ. या समकक्ष	30 केन	
7		40 अ / 2103	मगरथा—हरदा	90	टाटा ए.सी.इ. या समकक्ष	30 केन	
8		38 / 2104	सिराली—हरदा	130	टाटा ए.सी.इ. या समकक्ष	30 केन	
9		39 / 2105	बिछोला—रेलवा—हरदा	135	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
10	मुलताइ	बीएमसी-3 / 2001	सरइ—दुनावा—मुण्डापार—काठी	66	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
11		बीएमसी-3 / 2002	हिवरा—चिखलीकला—सेन्द्रया	42	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
12		बीएमसी-2 / 2003	बघोली—देवरी—पारडसिंगा—बाड़ेगांव—चंदौराखुद	40	टाटा ए.सी.इ. या समकक्ष	30 केन	
13		बीएमसी-2 / 2004	खामढाना—जैताढाना—कोहपानी—कुजबा	52	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
14		बीएमसी-2 / 2005	छिन्दी—मागनी—खड़कवार	36	छोटा हाथी	30 केन	
15		48 अ / 2007	तिवरखेड़—पट्टन—मुलताइ	108	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
16		48 स / 2008	मासौद—साठिया—मुलताइ	92	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
17		48 ब / 2009	बोरगांव—बिरुल बाजार—छिंदखेड़ा—मुलताइ	120	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
18		50 अ / 2010	मोहो—जौलखेड़ा—दिवटया—हेटी	79	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
19		50 ब / 2011	सेमझिरा—बानूर—एनस—मुलताइ	74	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
20		बीएमसी-1 / 2012	खम्बारा—तुमरीडोल	6	टेक्टर या समकक्ष	55 केन	

21		बी.एम.सी.1 / 2013	हरदौली—चैनपुर—मालेगांव	12	टाटा ए.सी.ई.या समकक्ष	30 केन	
22		बीएमसी 3 / 2020	चिखलीकलां—रिधोरा—हेटी(एक पाली)	190	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
23	राजगढ़	30 अ / 0406	छायन—बलबहादूरपुरा—पिपलौदी—राजगढ़	50	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
24		31 अ	देहरीकराड—पीपलखेड़ा—घोडाखेड़ा—करेडी—राजगढ़	86	407 या समकक्ष	75 केन	
25		31 ब	कल्पोनी—रामपुरिया—तलाइखेड़ा—राजगढ़	69	407 या समकक्ष	75 केन	
26		31 स	उदयपुरिया—मुरारिया—राजगढ़	90	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
27		32 स	भ्याना—तिंसाइ—खजूरिया हरि	61	टाटा ए.सी.ई.या समकक्ष	30 केन	
28	बरेली	43 ब / 0802	बरेली—तिन्सरी—समनापुर—धाटपिपरिया	116	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
29		43 स / 0803	झिरपई—चकावली—बरेली	115	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
30	आष्टा	9 ब / 0220	पगारियाहाट—मोरुखेड़ी—कन्नौद रोड शटल मार्ग	21	टाटा ए.सी.ई.या समकक्ष	30 केन	
31		10अ / 0210	सेमलीबारी—आष्टा	114	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
32		13स / 02015	छापर—भूपोड—आष्टा	62	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
33		13 ई / 0217	नीलबड़—खजूरिया कासम—आष्टा	41	टाटा ए.सी.ई.या समकक्ष	30 केन	
34	ग्यारसपुर	1 / 1401	पठारी—ग्यारसपुर	160	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
35		2 / 1402	मेनवाड़ा—ग्यारसपुर	146	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
36		3 / 1403	सीहोद(बन्डवा)—ग्यारसपुर	105	टाटा ए.सी.ई.या समकक्ष	30 केन	
37	शुजालपुर	15 ब / 2202	दुर्घा—दुबडिया—शुजालपुर	35	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
38		16 अ / 2203	कोहडिया—शुजालपुर	100	टाटा ए.सी.ई.या समकक्ष	20 केन	
39		18 / 2206	देवली—शुजालपुर	113	407 या समकक्ष	75 केन	
40	बैतूल	53 / 1904	बीएमसी साइखेड़ा—नाहिया गोलापोहर—एनखेड़ा	136	आयशर या समकक्ष	120 केन	
41		52 / 1903	बीएमसी जम्बाडा—खण्डारा—कोढरखापा—अंधारिया	180	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
42		54 / 1905 अ	बी.एम.सी. पंचधार—जावरा—शिर्डी—गौना—धनौरा—धनोटी	130	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
43		56 अ / 1907	बी.एम.सी.पाढ़र—रामपुरमाल—हाथीकुण्ड—छुरी—पाढ़र	87	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
44		56 ब / 1908	बी.एम.सी. साकादेही गड़ीखेड़ा—रावनवाड़ी—धौल—मरामङ्गिरी	77	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
45		58 / 1910	बैतूल—बारही—बघोली—बैतूल	64	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
46		बीएमसी / 1911	बी.एम.सी.चूनाहजूरी(चूनाहजूरी—गौंधना—धामन्या)—आलमपुर	65	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
47		बीएमसी / 1912	बी.एम.सी. रोड़डा / मंडई (रोड़ा—केसिया—तारा—मलाजपुर—मंडई)	65	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
48		1913	बीएमसी रानीपुर—सुगढाना—पाढ़रा—सीताफल—कोही	80	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
49		59 ब / 1914	बी.एम.सी.विघवा(विघवा—ज्ञापल—सिंगारचावडी—वारंगवाडी)	63	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
50		बीएमसी / 1918	बी.एम.सी. जीन (जीन—रातामाटी—देवठान—बोरगांव—टाहली)	45	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
51	नरसिंहगढ़	24 ब / 0502	नयापुरा—साका जागीर—नरसिंहगढ़—तरेली धाकड़	73	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
52		25 ब / 0503	हिनोतिया—मवासा—बरखेड़ा डोर—नरसिंहगढ़	106	पिकअप या समकक्ष	40 केन	

53		27 स / 0507	पीपलवेठा—कोलूखेड़ा—नरसिंहगढ़	134	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
54		27 द / 0508	जोगीपुरा—ताजपुरा—नरसिंहगढ़	84	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
55		बीएमसी कुरावर	धनखेड़ी—ललोती—लूलाखार—कुरावर	57	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
56		42	बरकुआ—नरसिंहगढ़ शटल मार्ग	90	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
57	पचोर	/ 0602	ऊमरी—सूकली—पचोर	70	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
58		25 द / 0604	कोलूखेड़ा—मउ—सुल्तानिया—पचोर	95	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
59		605	रामपुरिया—चिड़लावनिया—सुस्तानी—पचोर	87	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
60		607	कोलूखेड़ी गौशाला—पान्या—पचोर	38	टाटा ए.सी.ई. या समकक्ष	30 केन	
61	गैरतगंज	65 द / 0904	शोभापुर—अर्धियारी—गैरतगंज	155	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
62		65ई /	खजूरिया—गैरतगंज	135	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
63	सिलवानी	1 / 1001	गगनवाड़ा—सिलवानी	92	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
64		3 / 1003	गुलवाड़ा—सिलवानी	143	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
65		4 / 1004	हफसिली—सिलवानी	150	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
66	विदिशा	34 अ / 1302	देवखजूरी—पिपलधार—विदिशा	147	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
67		34 ब / 1304	हसलपुर—महुटा—विदिशा	161	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
68		34 ब—1 / 1303	बैरसिया—भटखेड़ी—विदिशा	152	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
69		1307	विदिशा—तिजालपुर—बैरखेड़ी—दीवानगंज—विदिशा	120	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
70	गुना	60—3 / 2303	गुना—डुंगासरा—गुना	135	टाटा ए.सी.ई. या समकक्ष	30 केन	
71		60—4 / 2304	गुना—आरोन—गुना	89	टाटा ए.सी.ई. या समकक्ष	30 केन	प्रातः पाली मात्र
72	कीरतपुर	64 स	कीरतपुर—सुखतवा—भरगदा—सहेली—कीरतपुर	60	छोटा हाथी या समकक्ष	30 केन	
73	गौहरगंज	1103	हिनौतिया—आशापुरी—गौहरगंज	72	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
74	लटेरी	42 अ	भाऊखेड़ी—साहनखेड़ी—शेरखेड़ा—मुरारिया—मुड्रासागर	135	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
75	जीरापुर	29 ब	खिलचीपुर—जीरापुर—लखोनी—माचलपुर	99	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
76		29 स	बामनखेड़ी—जीरापुर	69	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
77	सोहागपुर	36 अ	आरी—सोहागपुर	110	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
78		36 ब	पालाखेड़ी—सोहागपुर	90	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
79	भोपाल	तरल नत्रजन परिवहन	भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के कार्यक्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर तरल नत्रजन एवं फ्रेजर सीमन प्रदाय एवं दुग्ध संघ के निर्देशानुसार अन्य सामग्री परिवहन।	न्यूनतम 3000कि.मी. प्रतिमाह	पिकअप या समकक्ष	—	

उपरोक्त परिवहन निविदा में समस्त शर्ते मेरे द्वारा पढ़ कर समझ ली गई है, जो मुझे मान्य है।